

न्यायालय तहसीलदार मरूदा, जिला - अजमेर

राजस्वामि सरकार अरिफ पटवारी हल्का

नीमगढ

बनाम

श्रीशेरवावत पुत्र बुद्धा

प्रकरण नं० 132/2019

जाति-मेराट निवासी रूपोले

भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 एल.आर.एक्ट

-:निर्णय:-

दिनांक 11/7/19


पत्रावली पेश हुई अप्रार्थी उपस्थित। मेने पत्रावली का अवलोकन किया। पटवारी हल्का नीमगढ द्वारा सम्वत् 2076 ग्राम हिमता रूपोलेकी सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 67.02 कुल रकबा ५॥१॥ किस्म भूमि ६॥१॥ में से रकबा ॥१॥ बीघा भूमि पर अप्रार्थी श्रीशेरवावत पुत्र बुद्धा जाति मेराट निवासी हिमता रूपोले द्वारा नाजायज कायमी कर लिये जाने की भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। प्रकरण भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी का भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 एल.आर.एक्ट के प्रावधानों के तहत नोटिस दिनांक 11/7/19 को मुकाम मसूदा पर उपस्थित होने बाबत जारी किया गया।

अप्रार्थी ने नोटिस के जवाब में अपने पक्ष में कोई ठोस दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। भूमि नियमन योग्य नहीं है।

मेने पत्रावली का विवेचनात्मक अध्ययन एवं मनन किया। अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब में कोई ठोस सबूत एवं दस्तावेज पेश नहीं किए एवं अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पर अपना अवैध अतिक्रमण होना स्वीकार किया। भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड अनुसार सिवायचक खाते में दर्ज है। अप्रार्थी बतौर अतिक्रमी उक्त भूमि पर काबिज है।

अतः श्रीशेरवावत पुत्र बुद्धा जाति मेराट निवासी हिमता रूपोलेकी सिवायचक भूमि ग्राम हिमता रूपोले के खसरा नं० 67.02 कुल रकबा ५॥१॥ किस्म भूमि ६॥१॥ में से रकबा ॥१॥ भूमि पर किए गए नाजायज कब्जे/काशत के लिए अतिक्रमी घोषित किया जाता है एवं आदेश दिए जाते हैं कि अप्रार्थी को उक्त भूमि में से बेदखल किया जावे एवं आर्थिक दण्ड के रूप में वार्षिक लगान का पचास गुणा 7/- रुपये बतौर शास्ति आरोपित की जावे व मौके पर खड़ी फसल/ अन्य को जब्त सरकार कर निलाम किया जावे आदेश की पालना में भू-अभिलेख निरीक्षक/पटवारी हल्का को व डिमाण्ड कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार को लिखा जावे। पत्रावली बाद कार्यवाही फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 11/7/19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया एवं शामिल मिसल किया गया।



(प्रभात त्रिपाठी)

तहसीलदार मसूदा  
जिला - अजमेर

